

प्रेस नोट दिनांक- 24.08.2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री महेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 24.08.2020 को श्री महेन्द्र चौहान, थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में पथरा बाजार पुलिस बल द्वारा पुरानी रंजिश के विवाद में संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत 02 अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 24 -08-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री धर्मेन्द्र सचान, क्षेत्राधिकारी, शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में श्री सभाशंकर यादव, थानाध्यक्ष, थाना- चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में चिल्हिया पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.08.2020 को शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 01 अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 24-08-2020

दिनांक 24-08-2020 नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लगाए गए निषेधाज्ञा/लॉकडाउन तथा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं फर्टाटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-24-08-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 205 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 119 वाहनों का चालान कर कुल 81,600/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 24 -08-2020

श्री विजय ढुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में बांसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.08.2020 को शान्ति-व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 03 अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।